रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30 1985/श्रावण 8, 1907
No. 367] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 1985/SRAVANA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1985

का आ 56 (अ) - केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं का आ 83(अ), तारीख 17 फरवरी, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में,

"31 जुलाई, 1985 को या उससे पहले" शब्दों और अंकों के स्थान पर "31 जुलाई 1986 को या उसके पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं आई-12014/43/85-आई.एस. (डी-3)]

एम. एल. कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 1985

S.O. 561(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 83(E), dated 17th February, 1982, namely :—

In paragraph 4 of the said notification, for the words and figures "on or before the 31st July, 1985," the words and figures "on or before the 31st July, 1986" shall be substituted.

[No. I 12014/43/85-IS(D.III)]

M. L. KOUL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985